पत्र संख्या : 7ब / 4702 यो॰ज॰सं०–08 / 2013 34

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस0 के0 शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता लघु सिंचाई राँची / दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड,राँची।

राँची, दिनांक : 7.6.-13

विषय :– मॉग संख्या–50–लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष–101–सतही जल, उप शीर्ष–20–पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुर्नस्थापन विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 43 अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण विपत्र कोड–50P470200101200543 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013–2014 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट–1 में अंकित उप शीर्ष, विस्तृत शीर्ष एवं विपत्र कोड़ के अधीन दर्शाये गये कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र॰	मॉग संख्या / मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष / उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू॰ में)
1	2	3	4	5
1	50–लघु सिंचाई विभाग / 4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101–सतही जल / 20–पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन	05–निर्माण, 43 अनुरक्षण,मरम्मति एवं सुसज्जीकरण 50P470200101200543	**160.00**
आवंटित राशि – ₹ एक करोड़ साठ लाख मात्र।				

2. आवंटित राशि वर्ष 2013–2014 के बजट उपबंध **₹ 200.00 लाख** (दो करोड) मात्र के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट 1 पर वर्णित कार्यो के अनुरूप किया जायेगा।
5. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगें कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र / चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र / चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र / चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र / चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(सुरेश प्रसाद भगत) सहायक अभियंता	(मुक्ति साधन चौरसिया) उप सचिव (अभि॰)	(सुबोध कुमार सिन्हा) संयुक्त सचिव (अभि॰)	(बी॰ सी॰ निगम) विशेष सचिव

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त

(एस0 के0 शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 34 रॉची, दिनांक :– 7-6-13

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची/** कोषागार **पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉंची/गिरिडीह/मेदिनीनगर/गढ़वा/रामगढ़/हजारीबाग/गोड्डा** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(एस0 के0 शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 34 रॉची, दिनांक :–
ज्ञापांक :– रॉची, दिनांक :– 7-6-13

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) रॉची/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख –**I** एवं **II** जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(सुरेश प्रसाद भगत) सहायक अभियंता	(मुक्ति साधन चौरसिया) उप सचिव (अभि॰)	(सुबोध कुमार सिन्हा) संयुक्त सचिव (अभि॰)	(बी॰ सी॰ निगम) विशेष सचिव	(एस0 के0 शतपथी) प्रधान सचिव

प्रभागीय पत्रांक........34........ दिनांक ....7-6-13........ का अनुलग्नक परिशिष्ट –1

मुख्य शीर्ष –4702– लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

लघु शीर्ष –101–सतही जल ।

उप शीर्ष –20– पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन।

विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 43 अनुरक्षण ,मरम्मति एवं सुसज्जीकरण

विपत्र कोड–50P470200101200543

बजट उपबंध (वर्ष 2013–14) ₹ 200.00 लाख (दो करोड) मात्र।

(राशि लाख रूपये मे)

कमांक	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		मार्च 2013 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2013–14 में आवंटित राशि			अभ्युक्ति
					प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मध्यम सिचाई योजना का पुनर्स्थापन											
1	लघु सिंचाई प्रमण्डल, गिरिडीह	गिरिडीह	बगोदर	जमुआरी आहर मध्यम सिंचाई योजना का पुर्नस्थापन कार्य	28 / 30.11.11	78.312	60.496	0.00	17.00	17.00	
2	लघु सिंचाई प्रमण्डल, गिरिडीह	गिरिडीह	सरिया	जोगिया आहर मध्यम सिंचाई योजना का पुर्नस्थापन कार्य	28 / 30.11.11	89.068	77.107	0.00	3.00	3.00	
						योग	**137.603**	**0.00**	**20.00**	**20.00**	
3	लघु सिंचाई प्रमण्डल, हुसैनाबाद	पलामू	पाण्डू	संघता नाला मध्यम सिंचाई योजना के जीर्णोद्धार	17 / 08.08.12	79.370	20.000	0.00	30.00	30.00	
						योग	**20.000**	**0.00**	**30.00**	**30.00**	
आहर तालाब का जीर्णोद्दार											
4	लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा	गढ़वा	नगर उंटारी	तरवा आहर का जीर्णोद्वार	19/13.08.2012	7.860	0.000	0.00	20.00	20.00	
		गढ़वा	धुरकी	राजपाल बाँध का जीर्णोद्वार		9.620	0.000				
		गढ़वा	खरौंधी	कचनरवा आहर का जीर्णोद्वार		9.470	0.000				
		गढ़वा	नगर उंटारी	बुधवा बाँध का जीर्णोद्वार		9.810	0.000				
		गढ़वा	नगर उंटारी	खौरिया बाँध का जीर्णोद्वार		9.400	0.000				
						योग	**0.000**	**0.00**	**20.00**	**20.00**	

(सुरेश प्रसाद भगत)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	(सुबोध कुमार सिन्हा)	(बी॰ सी॰ निगम)	(एस॰ के॰ शतपथी)
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि॰)	संयुक्त सचिव (अभि॰)	विशेष सचिव	प्रधान सचिव

कमांक	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		मार्च 2013 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2013–14 में आवंटित राशि			अभ्युक्ति
					प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	लघु सिंचाई प्रमंडल, रामगढ	हजारीबाग	विशनुगढ़	बड़की बाँध का पुनर्स्थापन	40/22.03.2013	70.090	0.000	0.00	40.00	40.00	
						योग	**0.000**	**0.00**	**40.00**	**40.00**	
6	लघु सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा	गोड्डा	गोड्डा	मढ़ैया तालाब का जीर्णोद्धार	37 / 09.03.13	38.760	0.000	0.00	20.00	20.00	
		गोड्डा	गोड्डा	मठकुरिया तालाब का जीर्णोद्धार	37 / 09.03.13	47.010	0.000	0.00	20.00	20.00	
		गोड्डा	पोरैयाहाट	दामा बाँध का जीर्णोद्धार	34 / 21.02.13	24.880	0.000	0.00	10.00	10.00	
						योग	**0.000**	**0.00**	**50.00**	**50.00**	
						योग	**157.603**	**0.00**	**160.00**	**160.00**	
आवंटित राशि – ₹ एक करोड़ साठ लाख मात्र।											

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

(बी॰ सी॰ निगम)
विशेष सचिव

(एस॰ के॰ शतपथी)
प्रधान सचिव

34
7-6-13